

the defence of the eastern sea-board. The location of units of the Fleet is determined in accordance with developing strategic requirements, which may well include Madras, even though no major units of the Fleet are at present based there.

**उत्तर प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों का विकास**

4308. श्री जी० ब० सि० त्रिष्टः क्या प्रधान मंत्री 31 जुलाई, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 1896 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी क्षेत्र विकास बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और ये किन किन तारीखों को हुई थी ;

(ख) इन बैठकों में उक्त बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को की गई सिफारिशों का व्यौरा क्या है और ये सिफारिशें किन विषयों के बारे में की गई हैं ;

(ग) उन मोटर योग्य सड़कों के नाम क्या हैं जिनकी बोर्ड ने सिफारिश की है और जिनके निर्माण के लिये राज्य सरकार ने निर्णय कर लिया है और कौन कौन सी सड़कों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या सरकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को उसी क्रम में शीघ्र क्रियान्वित करेगी जिस क्रम में वे की गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया गया है। सूचना की अभी इन्तजारी की जा रही है।

12.03 hrs.

**PAPERS LAID ON THE TABLE  
Annual Reports of Development  
Councils for Food Processing and  
for Oils, Detergents and Paints**

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): I beg to lay on the Table a copy each of the Annual Reports of the following Development Councils for the year 1968-69, under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:—

- (1) Development Council for Food Processing Industries.
- (2) Development Council for Oils, Detergents and Paints.

[Placed in Library. See No. LT-1716/69.]

**Annual Report of and Govt's Review  
on Working of Mining and Allied  
Machinery Corporation Ltd.,  
Durgapur**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): On behalf of Shri C. M. POONACHA, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

- (1) Review by the Government on the working of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur, for the year 1967-68.
- (2) Annual Report of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur, for the year 1967-68 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT-1717/69.]

**Central Governments Finance  
Accounts for 1967-68**

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI P. C. SETHI): I beg to lay on the Table a copy of the Finance Accounts of the Central Government for the year 1967-68. [Placed in Library. See No. LT-1718/69.]

**Notification re. amendments to delimitation to Parliamentary and State Constituency Order, 1966**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 2128 published in Gazette of India dated the 2nd August, 1969, making certain corrections and amendments in Part B of Schedule XI to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966 in respect of the State of Mysore, under sub-section (2) of section 9 of the Representation of the People Act, 1950. [Placed in Library. See No. LT-1719/69].

**Annual Report and Audited Accounts of Central Silk Board, etc. etc.**

वैदेशिक व्यापार तथा पूति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1967-68 के लेखा परीक्षित लेखे की एक प्रति ।
- (2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [Placed in Library. See No. LT-1720/69]
- (3) शुद्धिपत्र की एक प्रति जो 9 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1969 को सभा-पटल पर रखी

गई अधिसूचना एस० ओ० 2459 की संख्या में परिवर्तन करके एस० ओ० 2529 किया गया । [Placed in Library. See No. LT-1721/69]

- (4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उ-धारा (6) के अधीन आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनार्थ उत्पादन तथा वितरण का विनियमन (तीसरा संशोधन) आदेश, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 2 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2699 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2700 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था । [Placed in Library. See No. LT-1722/69]

- (5) आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनार्थ उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 के खण्ड 5-क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2701 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2702 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [Placed in Library. See No. LT-1723/69]

**ESTIMATES COMMITTEE**

**Ninety-seventh Report**

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara): I beg to present the Ninety-Seventh Report of the Estimates Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in the Second Report of the